तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/6/19	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उप0। प्रतिवादी पैरोकार उप0। उभय पक्ष को सुना। वादी ने इस आशय का वाद प्रस्तुत किया है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 04 की पैतृक खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 92, 112, 125, 195, 340/202 व 342/202 रकबा कमशः 05.09, 04.01, 50.01, 80.03, 8.00 व 113.16 बीघा कुल रकबा 261.10 बीघा मौजा मौखाब खुर्द, पटवार मण्डल मौखाब, तह0 शिव में अवस्थित है। वादग्रस्त भूमि वादी को अपने पिता के फौत होने पर विरासत में प्राप्त हुई है। राजस्व रेकर्ड में फौतगी नामान्तकरण की कार्यवाही करते समय वादी के नाबालिग होने के कारण उसके रिश्तेदारों द्वारा भूलवंश वादी का घरेलू नाम हुकमा राम पुत्र राणा अंकित करवा दिया गया, जबकि वादी का सही नाम मांगीलाल पुत्र राणा है। वादी के अन्य सभी आवश्यक सरकारी दस्तावेजो में भी वादी का नाम मांगीलाल पुत्र राणाराम दर्ज । अतः वादी ने वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेंकर्ड में अपने नाम के शुद्विकरण हेतु वाद प्रस्तुत किया है। वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी पैरोकार को सम्मन जारी किया गये। प्रतिवादी संख्या 02 से 04 ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी का नाम हुकमा पुत्र राणा के स्थान पर मांगीलाल पुत्र राणाराम किये जाने का निवेदन किया है। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार शिव ने अपने जवाब मे वादी के नाम को दुरूस्त किये जाने मे अपनी अनापति जाहिर की है। वाद के तथ्यों के संबंध में हल्का पटवारी एवं हल्का भू-अभिलेख निरीक्षक की जांच राजस्व अभियान 2018 में की गयी है जो पत्रावली मे मौजूद है। जिसमें वादी के नाम को दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की गयी है। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 02 से 04 ने अपने ब्यान शपथ पत्र प्रस्तुत किये है। वादी ने अपने ब्यान शपथ पत्र में दस्तावेंज प्रदर्श करवाये। वादी ने अपने वाद के समर्थन मे दस्तावेजात नकल वर्तमान जमाबन्दी, फौतेदगी नामन्तरकण, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, बैक डायरी व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व मौखिक अभिकथनों तथा जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। जिसमें वादी का नाम मांगीलाल पुत्र राणाराम ही है। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 92, 112, 125, 195, 340/202 व 342/202 रकबा कमशः 05.09, 04.01, 50.01, 80.03, 8.00 व 113.16 बीघा कुल रकबा 261.10 बीघा मौजा मौखाब खुर्द, पटवार मण्डल मौखाब, तह0 शिव की भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम हुकमा वल्द राणा के स्थान पर मांगीलाल पुत्र राणाराम घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव, जिला-बाड़मेर	

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिव
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह आई.ए.एस.

वादी :– मांगीलाल पुत्र राणाराम, जाति– सुथार, नि0 मौखाब खुर्द तह0 शिव

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. राज0 राज्य जरिए तहसीलदार शिव।
2. वीराराम, 3. रेवन्ताराम, 4. केहनाराम पिसरान कासूराम, जाति– सुथार, नि0 मौखाब खुर्द तह0 शिव।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्रसिंह सियाग एडवोकेट– वादी।
2. प्रतिवादी संख्या 01 पैराकार उप0।
3. प्रतिवादी संख्या 02 से 04 स्वंय उप0।

अन्तिम डिक्री

वादी एवं प्रतिवादीगण को आज दिनांक 28.06.2019 को सहायक कलक्टर शिव के समक्ष अन्तिम रूप से निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:–

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 92, 112, 125, 195, 340/202 व 342/202 रकबा क्रमशः 05.09, 04.01, 50.01, 80.03, 8.00 व 113.16 बीघा कुल रकबा 261.10 बीघा मौजा मौखाब खुर्द, पटवार मण्डल मौखाब, तह0 शिव की भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम हुकमा वल्द राणा के स्थान पर मांगीलाल पुत्र राणाराम घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

निर्णय आज तारीख 28.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(प्रताप सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 12:49:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: